न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :— श्रीमती करूणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व वाद नम्बर :— 13 / 2024

जीसीएमएस नम्बर :— 2024 / 280

अनवान

1. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मण्डोल जरिये प्रधानाध्यापक राउप्रावि मण्डोल तहसील रायपुर

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. सरपंच / सचिव, ग्राम पंचायत पीथाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित

1. अमरसिंह चारण — प्रार्थी अधिवक्ता
2. एकपक्षीय — विपक्षी संख्या 2

निर्णय दिनांक 19/2/2026

1. प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम मण्डोल, पटवार हल्का पीथाकाखेड़ा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मण्डोल के खातेदारी अधिकारी एवं कब्जे की साबिक आराजी संख्या 121 / 1 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा भूमि किस्म खेल मैदान दर्ज रेकार्ड होकर स्थित थी। प्रमाण में नकल जमाबन्दी संवत 2050 से 2053 तक प्रस्तुत की है।
2. प्रार्थी की साबिक आराजी संख्या 121 / 1 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा भूमि के दक्षिण तरफ विपक्षी संख्या 2 की आबादी भूमि स्थित थी। प्रमाण में साबिक नक्शा ट्रेस साथ प्रस्तुत है। उक्त साबिक आराजी के दक्षिण तरफ पंचायत की आबादी भूमि मे से सड़क निकली हुई थी।
3. यह कि ग्राम मण्डोल तहसील रायपुर का नवीन भूप्रबन्ध हुआ जिसमे साबिक आराजी सख्या 121 / 1 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा मुमि के नवीन आराजी संख्या 250 रकबा 0.26 हेक्टेयर, 251 रकवा 0.65 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.81 हेक्टेयर कायम किये गये है। प्रमाण में नकल जमावंदी संवत 2073 से 2076 तक व नकल मिलान क्षेत्रफल साथ प्रस्तुत है ।
4. भु प्रवन्ध अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राजस्व रेकार्ड व नक्शे में परिवर्तन करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हुए भी उन्होने गैर कानुनी तरीके से बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के अपने अधिकारो से परे जाकर प्रार्थी की साबिक आराजी संख्या 121 / 1 के साबिक नक्शे के अनुरुप नवीन नवशा कायम नहीं कर मन मर्जी से प्रार्थी की नवीन आराजी सख्या 250 व 251 को नवीन नक्शे में पंचायत की आबादी भुमि के दक्षिण दिशा में गलत रुप से दर्शा दिया गया है जवकि प्रार्थी की साविक आराजी सख्या 121 / 1 के साबिक नक्शे में प्राथी की साबिक आराजी के दक्षिण तरफ पंचायत की आबादी भूमी दर्ज रेकार्ड थी यानि प्राथी की साबिक आराजी की जगह नवीन नक्शे में पंचायत की आबादी भूमी आराजी संख्या 240, 241, 242, 243,

सहायक कलक्टर रायपुर

244, 245, 246, 247, 248, 249 को गलत रुप से दर्शा दिया गया है और पंचायत की आबादी भुमि की जगह नवीन नक्शे में प्रार्थी की नवीन आराजी संख्या 250 व 251 को दर्शा दिया गया है। जिससे प्रार्थी की साबिक आराजी सख्या 121/1 के साबिक नक्शे के अनुरुप नवीन नक्शे में दुरूस्ती करवाई जाना आवश्यक हो गया है।

5. प्रार्थी की साबिक आराजी सख्या 121/1 के साबिक नक्शे मे प्रार्थी की आराजी के दक्षिणी तरफ स्थित पंचायत की आबादी भुमि मे से सडक निकली हुई थी, जिसे भी भुप्रबन्ध विभाग के अधिकरियो व कर्मचारियो ने प्रार्थी की नवीन आराजी संख्या 250 रकबा 0.26 हेक्टेयर की किस्म गै०मु०सड़क अंकित कर दी गई है जो गलत है, जिसें भी सुधारा जाना न्यायहित मे आवश्यक है। प्रार्थी की साबिक आराजी सख्या 121/1 की किस्म खेल मैदान अंकित थी।

6. अतः सादर प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की साबिक आराजी संख्या 121/1 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा किस्म खेल मैदान के साबिक नक्शे के अनुरूप प्रार्थी की नवीन आराजी संख्या 250, 251 के नक्शे में दुरूस्ती कराये जाने एवं प्रार्थी की नवीन आराजी संख्या 250 की किस्म गै.मु. सड़क के बजाय किस्म खेल मैदान अंकित कराया जाकर राजस्व रेकार्ड व नक्शे दुरूस्ती करने का आदेश प्रदान फरमाया जावें।

7. प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सम्मन जारी किए गए। सम्मन की पालना में विपक्षी संख्या 2 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से दिनांक 17.09.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई एवं विपक्षी संख्या 1 तहसीलदार रायपुर रिर्पोट प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली की गई।

8. तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोट में अंकन किया कि :—
   1. ग्राम मण्डोल पटवार हल्का पीथाकाखेड़ा की जमाबन्दी संवत 2073—76 के खाता संख्या 224 में स्थित आराजी संख्या 250 रकबा 0.26 है0 गै.मु. सड़क व आराजी संख्या 251 रकबा 0.55 है0 किस्म गै.मु. मैदान किता 2 रकबा 0.81 है0 जो कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मण्डोल हिस्सा पूर्ण खातेदार दर्ज रेकार्ड है।
   2. ग्राम मण्डोल के आराजी संख्या 240 रकबा 0.17 है0 गैमु. आबादी, 241 रकबा 0.01 है0 गैमु. आबादी, 243 रकबा 0.10 है0 गैमु. आबादी, 244 रकबा 0.07 है0 गैमु. आबादी, 245 रकबा 0. 06 है0 गैमु. आबादी, 246 रकबा 0.03 है0 गैमु. आबादी, 249 रकबा 0.50 है0 गैमु. आबादी 248 रकबा 0.06 है0 गैमु. आबादी, 249 रकबा 0.50 है0 गैमु. आबादी जो कि खाता संख्या 315 में ग्राम पंचायत पीथाकाखेड़ा आबादी दर्ज रेकार्ड है।
   3. भू प्रबन्ध से पूर्व व नवीन राजस्व नक्शे अनुसार नजरी नक्शा बनाया गया जो साथ संलग्न है।
   4. पुराने रेकार्ड व नवीन रेकार्ड व नक्शे का अवलोकन किया गया। दुरूस्त किए जाने के लिए वर्तमान जमाबन्दी में व राजस्व नक्शें में निम्न प्रस्तावित कार्यवाही किया जाना उचित होगा। आराजी संख्या 250 रकबा 0.26 है0 गै.मु. सड़क व आराजी संख्या 251 रकबा 0.55 है. किता 2 कुल रकबा 0.81 है जो कि वर्तमान में राउप्रावि मण्डोल के नाम दर्ज है इनको ग्राम पंचायत पीथाकाखेड़ा आबादी दर्ज रेकार्ड किया जाना उचित होगा। इसके अलावा वर्तमान

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

आराजी संख्या 244 रकबा 0.07 है. गैमु. आबादी, 245 रकबा 0.06 है0 गै.मु. आबादी, 246 रकबा 0.03 है0 गै.मु. आबादी, 247 रकबा 0.04 है0 गै.मु. आबादी, 248 रकबा 0.06 है0 गै.मु. आबादी, 249 रकबा 0.50 है0 गै.मु. आबादी, 243 रकबा 0.10 है0 गै.मु. आबादी प्रभावित होकर खेल मैदान में जायेंगे। प्रस्तावित नक्शा साथ संलग्न है।

9. प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि भू प्रबन्ध के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित साबिक आराजियात के नवीन नम्बर व रकबा तो सही कायम किए गए परन्तु आराजियात को राजस्व नक्शे में गलत दिशा में फीट कर दिया गया। तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अनुसार राजस्व में संशोधन किया जावें। तहसीलदार रायपुर द्वारा भी राजस्व नक्शे की त्रुटि को सही करने की अनुशंषा की है।

10. न्यायालय ने पत्रावली में उपलब्ध साबिक एवं नवीन राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट पर गंभीरता से विचार किया तो पाया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 5 में प्रार्थी की आराजियात का भू प्रबन्ध के दौरान नवीन नक्शे में साबिक नक्शे के अनुसार तरमीम ना किया जाकर प्रार्थी की आराजियात के स्थान पर विपक्षी संख्या 2 की आराजियात को तरमीम कर दिया जाना बताया है। अपने प्रार्थना पत्र में इसे त्रुटिपूर्ण बताते हुए प्रार्थीगण ने नवीन नक्शे में साबिक नक्शे के अनुसार तरमीम की जाकर नक्शे की दुरूस्ती की दाद चाही है। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व दस्तावेज साबिक नक्शा, मिलान क्षेत्रफल, साबिक जमाबन्दी, नवीन जमाबन्दी, नवीन नक्शा ट्रेस से स्पष्ट है कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात के खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी व विपक्षीगण मौके पर उसी अनुसार काबिज है। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व दस्तावेजो से स्पष्ट है कि भू प्रबन्ध के दौरान प्रार्थी के साबिक नक्शे व हाल नक्शे में लिपिकीय त्रुटी हुई है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 में लिपिकीय त्रुटी के प्रकरणो का निर्णय किया जाता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

::– आदेश –::

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर आदेश दिया है कि ग्राम मण्डोल पटवार हल्का पीथाकाखेड़ा के साबिक आराजी संख्या 121 / 1 को साबिक नक्शे अनुरूप एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में संलग्न नक्शे अनुसार नवीन नक्शे मे तरमीम दुरुस्ती की जावे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को आदेश की प्रति के साथ लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 19/2/2026 को सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(करूणा लाड़ोती)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती करूणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व वाद नम्बर :– 13 / 2024

जीसीएमएस नम्बर :– 2024 / 280

अनवान

1. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मण्डोल जरिये प्रधानाध्यापक राउप्रावि मण्डोल तहसील रायपुर

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. सरपंच / सचिव, ग्राम पंचायत पीथाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

दिनांक 19/2/2026

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

प्रेषित :–तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा इन्द्राज दुरस्ती बाबत्

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर आदेश दिया है कि ग्राम मण्डोल पटवार हल्का पीथाकाखेड़ा के साबिक आराजी संख्या 121 / 1 को साबिक नक्शे अनुरूप एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में संलग्न नक्शे अनुसार नवीन नक्शे मे तरमीम दुरूस्ती की जावे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को आदेश की प्रति के साथ लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

हुक्मनामा आज दिनांक 19/2/2026 को सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।

(करूणा लाड़ोती)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा